

26  
01/04/26

ई० फाईल संख्या-53170/56

प्रेषक,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,  
सचिव  
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता,  
लोक निर्माण विभाग,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक 8/ मार्च, 2026

विषय: राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र-लालकुआ में 04 निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृतियों के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, धे०का० लो०नि०वि०, हल्द्वानी द्वारा निम्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये विस्तृत आगणनों (ई.डी.पी.आर.-9896, 9309, 9913, 9793), जिसके अंतर्गत मोटर मार्गों की कुल लम्बाई 5.185 कि०मी० एवं लागत 234.97 लाख है, के शासन द्वारा परीक्षणोंपरान्त औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹2,34,97,000/- (₹ दो करोड़ चौतीस लाख सत्तानब्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय तथा वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹10,000/- (₹ दस हजार मात्र) अर्थात् कुल 04 कार्यों हेतु ₹40,000/- (₹ चालीस हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

धनराशि (₹ लाख में)

क्र० सं०	कार्य का नाम	लम्बाई (कि०मी० में)	शासन द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंतर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2	3	4	5
1.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के मदनपुर, बसन्तपुर और गंगापुर के लिंक मार्गों का पी०सी० द्वारा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) (EDPR-9896)	1.475	67.34	0.10
2.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुआ के अंतर्गत हिम्मतपुर, मोटाहल्दू, फत्ताबंगर में दुर्गादत्त जोशी, सुरेश आर्या व अन्य के घर के पास सार्वजनिक मार्ग, हिम्मतपुर मोटाहल्दू फत्ताबंगर में शंकर दत्त पुत्र नरोत्तम बचखेती व अन्य के घर के पास सार्वजनिक मार्ग, हिम्मतपुर मोटाहल्दू पी०-	1.710	87.58	0.10

(1698)

CE(P)  
10  
7/4/26

मुख्य अभियन्ता  
लोक निर्माण विभाग

SSO(P)  
2/4/26

(1366)

EE(P-1)  
10/4/26  
CAO(P)  
2/4/26

	अर्जुनपुर में पूरन चन्दोला व अन्य ग्रामवासियों हेतु सार्वजनिक मार्ग, फत्ताबंगर में जगदीश चन्द्र व अन्य के घर के पास सार्वजनिक मार्ग, हरिपुर शिवदत्त अर्जुनपुर में गोविन्द बल्लभ तिवारी, बीना नेगी व अन्य के घर के पास सार्वजनिक मार्ग का नवनिर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) (EDPR-9309)			
3.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ के मानकपुर पूर्वी दौलतपुर गौलापार में भीमसिंह त्रिपट्ट व अन्य के घर के पास, तारनवाड पूर्वी लक्ष्मपुर गौलापार में तारा चन्द्र तिवारी व अन्य के घर के पास पी0सी0 द्वारा सतह नुधारीकरण का कार्य (विस्तृत आगणन) (EDPR-9913)	1.150	14.46	0.10
4.	राज्य योजना के अंतर्गत जनपद नैनीताल के विधानसभा क्षेत्र लालकुंआ के अंतर्गत भगवान सिंह त्रिपट्ट, मीना गिरी, दिपांजली खोलिया, हरेन्द्र सिंह, भुवन चन्दोला व अन्य के घर के पास एवं खडकपुर मुख्य मार्ग से नन्दू पाण्डे व अन्य के घर तक सार्वजनिक मार्गों का पी0सी0 द्वारा निर्माण कार्य (विस्तृत आगणन) (EDPR-9793)	0.850	65.59	0.10
	योग	5.185	234.97	0.40

₹ चालीस हजार मात्र)

- 2- उपरोक्त स्वीकृतियां निम्नांकित शर्तों के अधीन होंगी:
- विस्तृत आगणन में उल्लिखित दरें, जो शैड्यूल आफ रेट से भिन्न हैं अथवा बाजार भाव से ली गई हों, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।
  - कार्य प्रारम्भ कराने से पूर्व प्राविधिक स्वीकृति के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-149101/XXVII(7)/E-20109/2022 दिनांक 25 अगस्त 2023 में प्राविधानित व्यवस्थानुसार कार्यवाही की जाय। यह भी देख लिया जाय कि उक्त कार्य इससे पूर्व अन्य विभागीय बजट से न कराये गये हों, यदि कराये गये हैं तो उस सीमा तक धनराशि की स्वीकृति के बाद आहरण नहीं किया जायेगा।
  - सड़क मार्गों के निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के प्रकरणों में वन विभाग के मानकों से सम्बन्धित लोक निर्माण अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या- I/276791/2025 ई०पत्रावली संख्या- 23430 {15 (सामान्य)/2022} दिनांक 19.02.2025 में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कार्य प्रारम्भ किये जाने से पूर्व सुनिश्चित किया जाय।

- iv. जी0एस0वी0 का कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मार्ग का सबग्रेड को विशिष्टियों के अनुसार प्राप्त करना सुनिश्चित करें।
- v. मार्ग का ड्रेनेज प्लान बनाकर अधिशासी अभियन्ता मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर मार्ग पर समुचित ड्रेनेज के सम्बन्ध में सन्तुष्ट हो लें।
- vi. मार्ग की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा एवं अनुरक्षण के दृष्टिकोण से मार्ग निर्माण के उपरान्त मार्गों के रखरखाव हेतु सक्षम स्तर पर हस्तान्तरित किया जाना सुनिश्चित किया जाय। इसके साथ ही इन मार्गों को सार्वजनिक उपयोग सुनिश्चित करने हेतु भी सक्षम स्तर पर एम0ओ0यू0 हस्ताक्षरित किया जाय।
- vii. ठेकेदार द्वारा समय से कार्य पूरा न करने की दशा में debitable आधार पर अन्य एजेन्सी का अधिप्राप्ति नियमावली, 2025 के अन्तर्गत नियमानुसार चयन कर निर्माण कार्य पूरा किया जायेगा। स्वीकृत निर्माण कार्य को किसी भी दशा में, शासन की पूर्वानुमति के बिना, अपूर्ण अवस्था में समाप्त नहीं किया जायेगा।
- viii. निर्माण कार्य को समयबद्ध रूप से पूर्ण किये जाने का समस्त उत्तरदायित्व सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता का होगा।
- ix. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाये।
- x. कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्यों को सम्पादित कराने समय पालन करना सुनिश्चित करें। बजट मैनुअल के समस्त नियमों का भी अनुपालन किया जायेगा।
- xi. आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है, व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- xii. यदि विषयगत कार्य को कराये जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के बजट से अथवा अन्य विभागीय बजट से कोई धनराशि स्वीकृत की गई है तो उस योजना हेतु इस शासनादेश द्वारा स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण न करके धनराशि शासन को समर्पित कर दी जायेगी।
- xiii. स्वीकृत किये जा रहे कार्य हेतु वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत नियमों, बजट मैनुअल तथा उत्तराखण्ड प्रोक्यूरमेन्ट रूल्स-2025 एवं उक्त विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।
- xiv. वर्तमान में व्यय हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय दिनांक 31-03-2026 तक सुनिश्चित किया जायेगा। यदि स्वीकृत कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो उसका व्यय संगत मद (चालू कार्यों) में निवर्तन में रखी गई धनराशि से किया जायेगा।
- xv. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराने समय या आगणन गठित करते समय कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- xvi. विषयगत कार्य हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का बजट आवंटन, वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28-03-2012 के अनुक्रम में, लोक निर्माण विभाग के अनुदान संख्या-22 के संलग्न अलॉटमेंट आई.डी. द्वारा आपको आवंटित कोड संख्या-4227 Chief Engineer PWD में किया जा रहा है।
- xvii. कार्यस्थल में कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व, समय-समय पर कार्य के दौरान तथा कार्य समाप्ति के उपरान्त जी0पी0एस0 फोटोग्राफ तथा वीडियो कार्यदायी संस्था द्वारा संरक्षित रखा जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में लोक निर्माण विभाग के अनुदान सं0-22, लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें-337 सड़क निर्माण कार्य-03 राज्य सेक्टर-02 नया निर्माण कार्य-53 वृहद निर्माण (5054-04-800-03-02) के नामें डाला जायेगा।

4- ये आदेश वित्त अनुभाग-2 के कम्प्यूटर जनित संख्या-I/384053/2026, दिनांक-31.03.2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

Digitally signed by  
Pankaj Kumar Pandey  
Date: 31-03-2026  
16:55:46 (पंकज कुमार पाण्डेय)  
सचिव

संख्या एवं तददिनांकित।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, कुमाऊं मण्डल, नैनीताल।
4. जिलाधिकारी, नैनीताल।
5. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रकार्या, लो.नि.वि., हल्द्वानी।
6. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, द्वितीय वृत्त, लो.नि.वि., नैनीताल।
9. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो. नि. वि., हल्द्वानी।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
सचिव।

552902

## बजट आवंटन वित्तीय वर्ष (2025 - 2026 )

Secretary-Secretary, PWD(S038)

HOD-Chief Engineer PWD(4227)

आवंटन पत्र संख्या -I/384143/2026  
अनुदान संख्या -022

आवंटन आई डी-S26030220156  
आवंटन पत्र दिनांक-31-MAR-2026

लेखा शीर्षक 5054-सड़क तथा सेतुओं पर पूँजीगत  
परिव्यय  
337-सड़क निर्माण कार्य  
02-नये निर्माण कार्य

04-जिला तथा अन्य सड़के  
03-राज्य सेक्टर

Voted

5	0	5	4	0	4	3	3	7	0	3	0	2
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
53-वृहद निर्माण		8660000	40000	0	8700000							
योग		8660000	40000	0	8700000							

**Total Current Allotment To HOD In Above Schemes-Rs.40,000 (Rupees Forty Thousand Only)**

**Approval Status : APPROVED BY OFFICER**



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग,  
"जियोजन-1" उत्तराखण्ड देहरादून

(Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand)

Web-http://govt.ua.nic.in/pwd

E-mail: p1hodpwwd@gmail.com

पत्रांक- 470/20 यातायात (वित्तीय स्वीकृति)नियम-1/2026,

दिनांक-04/अप्रैल/2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

- मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लोक निर्माण विभाग, ..... देहरादून।
- अधीक्षण अभियन्ता, ..... वृत्त, लोक निर्माण विभाग, ..... देहरादून।
- अधिशासी अभियन्ता, ..... खण्ड, लोक निर्माण विभाग, ..... देहरादून।
- आई०टी०सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- सहायक लेखाधिकारी विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।
- अपर सहायक अभियन्ता (प्राविधिक वर्ग), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी,  
कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,  
लोक निर्माण विभाग, देहरादून

